

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण**02 अदद अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा एक - एक अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- सोनू चौधरी पुत्र रामकरन 2- सुनील चौधरी पुत्र पतई निवासीगण सुरसा चमनजोत अकोलिहा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 178/20 व 179/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

600 ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नाम पता रामरूप चौधरी उर्फ रुपायन पुत्र शिवपूजन निवासी सुरसा चमनजोत अकोलिहा को 600 ग्राम अवैध गॉजे के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 182/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 65 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 05-10 ली0(कुल 15 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्तगण नाम पता 1-योगेन्द्र पुत्र जल्लू निवासी सुअरहवा 2- दिनेश साहनी पुत्र हरिद्वार निवासी नईबाजार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 259 / 2020 व 260/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10-10-10-10-10 ली0(कुल 50 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 05 अभियुक्तगण नाम पता 1-कन्हई पुत्र स्व0 रामलाल 2- निरंजन पुत्र स्व0 रामलाल 3- रमेश चन्द्र पुत्र कालीप्रसाद निवासीगण निबियहवा लोहरौली 4- मनोज पुत्र बृजलाल 5- बरखू पुत्र झुल्लन निवासीगण भेडौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 174 / 2020, 175/20, 176/20, 180/20 व 181/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत मधुपुर से इवेन्ट संख्या 12964 से दो पक्षों में मारपीट में एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 11

मिनट में घटनास्थल पर पहुँचकर एम्बुलेंस से मलौली अस्पताल भेजवाया गया तथा दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर विवाद को शान्त कराकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 योगेश मणि, म0आ0 अंशु यादव, हो0चा0 रामहित प्रजापति ।
शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना बखिरा द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 131 वाहनो से 119400 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 13-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 131 वाहनो से 119400 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।